

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून  
पत्रांक 322 / 1-7 देहरादून दिनांक 26, अगस्त 2019.

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड।

विषय:-

सन्दर्भ:-

राज्य सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों को देय वाहन भत्ते के संबंध में।  
शासन की पत्र संख्या 1374 / XVII-4-2019-06(39) / 2005 दिनांक 06.08.2019 व प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक आर नं० क- 914 / 1-7 दिनांक 16.08.2019.

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के वाहन प्रतिपूर्ति भत्ते में संशोधन के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है।

अतः निम्न निर्धारित प्रपत्र में सूचना 10 दिन के अन्तर्गत ई-मेल अथवा फॅक्स के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे शासन को समय अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करायी जा सके। वन संरक्षक/निदेशक अपने अधीनस्त प्रभागों की सूचनायें सम्मिलित करते हुए वृत्त की संकलित सूचना प्रेषित की जायेगी :-

कार्यालय का नाम	दिव्यांग कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन	वाहन भत्ते की धनराशि	दिव्यांग कार्मिकों के वाहन भत्ते पर व्यय होने वाली मासिक धनराशि	दिव्यांग कार्मिकों के वाहन भत्ते पर व्यय होने वाली वार्षिक धनराशि
1	2	3	4	5	6	7

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भविदीय,

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक,

मा०सं०वि०एवंका०प्र०,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 322 / 1-7 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण देहरादून को इस आशय से प्रेषित की पत्र को विभागीय वेबसाईड में अपलोड करवाने का कष्ट करे।

(मनोज चन्द्रन)

मुख्य वन संरक्षक,


मा०सं०वि०एवंका०प्र०,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

I.T.C  
ए.के.सि.के  
CCF  
28/8

16 AUG 2019

प्रेषक,  
मायावती ढकरियाल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।



- सेवा में,
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
  2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग-04.

देहरादून, दिनांक 06 अगस्त, 2019.

विषय: राज्य सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों को देय वाहन भत्ते के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के वाहन प्रतिपूर्ति भत्ते में संशोधन की मांग की गई है।

अतः कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर सूचना 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कृष्ट करें-

- (1) विभाग में नियुक्त दिव्यांग कर्मचारी का नाम, पदनाम, वेतन व दिए जा रहे वाहन भत्ते की धनराशि।
- (2) दिव्यांग कर्मिकों के वाहन भत्ते पर व्यय होने वाली मासिक/वार्षिक धनराशि।

EC  
मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)  
अपर कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक  
उत्तराखण्ड देहरादून  
16/8/19

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक  
मोबा नं. 9896011111  
पंजीक नं. 1494  
पत्रावली नं. 17  
दिनांक 17/8/19

भवदीया,  
श्रीमती  
(मायावती ढकरियाल)  
संयुक्त सचिव।

Hoff  
रिप्रेमक (HE)  
Excise comm.  
रिप्रेमक, वन  
रिप्रेमक, (M)U  
MS(E)

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कर्मिक प्रबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून को शासन की अपेक्षाबद्धता कार्यावली हेतु प्रेषित

(2) मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के संप्रदानार्थी।

(निजी सचिव)  
प्रमुख सचिव,  
वन एवं पर्यावरण, आरक्षक  
उत्तराखण्ड शासन।  
13.8.19

6747  
17/8/19

मुख्य संशोधन वि० एवं का० प्र०

मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)  
कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक  
उत्तराखण्ड  
16/8/19